# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

खण्डवा, दिनांक–20.11.206

क्रंमांक– /री–1/2026/ 3919
प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय..– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–93(1) के अन्तर्गत अधिसूचना का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण कमांक **0021/अ–82/2024–25 ग्राम राजगढ़ तहसील खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा–93(1) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(ऋषि कुमार सिंघई)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी, अनुविभाग खण्डवा
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खण्डवा (म.प्र.)
खण्डवा, दिनांक–20.11.2026

पृ. क्रमांक– /री–1/2026/ 3919
प्रतिलिपिः–

1. संचालक जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. की ओर सचनार्थ प्रेषित ।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना को जिले की वेबसाईट पर **अपलोड** करने का कष्ट करे।
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा की ओर अधिसूचना की तीन प्रतिया भेजकर लेख है कि इस क्षेत्र मे पढे जाने वाले दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रो मे इसका प्रकाशन करवाकर इसकी एक–एक प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
4. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेज कर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें।

1. कलेक्टर कार्यालय खण्डवा नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर 3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटिस बोर्ड 4. टप्पा कार्यालय नायब तहसीलदार वृत्त पिपलोद के नोटिस बोर्ड पर 5. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर

अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी,अनुविभाग खण्डवा
अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) खण्डवा (म.प्र.)

Scanned with CamSc

कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा
एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
//अधिसूचना//
(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–93(1) के अन्तर्गत)

नस्ति क्रमांक–.....
प्रकरण क्रमांक– 0021/अ–82/2024–25/20593 खण्डवा, दिनांक– 10/11/2026

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा द्वारा उनके पत्र कमांक 93/कार्य/भाम. परि./भू अर्जन/2024 दिनांक 09.01.2025 द्वारा ग्राम राजगढ तहसील खण्डवा के विभिन्न खसरा नंबरो की कृषि भूमि क्षेत्रफल 1.71 हैक्टेयर भूमि व उस पर स्थित परिसंपत्तियां भाम मध्यम परियोजना के निर्माण में ग्राम राजगढ के काश्तकारो की भूमि प्रभावित होने से अधिग्रहण किए जाने के प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी खण्डवा को प्रस्तुत किए गए। भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 19 की अन्तर्गत उदघोषणा का विहित स्थानो पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा–21 के अंतर्गत कार्यवाहीं की गई। इस स्तर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र कमांक 3232/कार्य/भाम. परि/2025 दिनांक 20.11.2025 द्वारा हितबद्ध कृषको द्वारा धारा 21 के तहत प्रस्तुत आवेदन एव शपथ पत्र के आधार पर उक्त ग्राम के भू अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में संलग्न अनुसूचित के खाने (1 से 9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (9) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है। अतः भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–93(1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है। भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93(1) के अन्तर्गत कॉलम 6 व 7 में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है।

निरंतर .....2

Scanned with CamSc

–: अनुसूची :–

| जिला | तहसील | ग्राम | अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत निम्न सर्वे नंबर अर्जन हेतु प्रस्तावित था | | अधिनियम की धारा 93(1) के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाली सर्वे नम्बर का ब्यौरा | | धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | खसरा नबर | रकबा | खसरा नबर | रकबा | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| खण्डवा | खण्डवा | राजगढ | 391/2/1 | 1.35 | 391/2/1 | 1.35 | कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा | भाम मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण एवं डूब क्षेत्र हे भूमि का अर्जन |
| | | | 391/1 | 0.36 | 391/1 | 0.36 | | |
| | | | | | | | | |
| योग | | | | 1.71 | | 1.71 | | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ऋषव गुप्ता)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला खण्डवा (म0 प्र0)

Scanned with CamSc